बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

शुक्रवार, तिथि २९ सितम्बर, १९६१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि २९ सितम्बर १९६१ को पूर्वाह्न ११ बजे सभापति श्री रामनारायण मंडल के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

SHORT-NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

कैंटीन मालिक को हटाना।

१२२। श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, श्री सभापति सिंह तथा श्री फबियानुस उरांव—

क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि एम० एल० ए० कैंटीन, पटना के वर्त्तमान मालिक के अप्रतिष्ठित तथा अनुचित व्यवहार के विरुद्ध करीब २०० विधायकों ने पिछले वर्ष मार्च में सरकार को इसे तुरत हटाने के लिये आवेदन किया था;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त कैंटीन में जो चीजें खाने की रहती हैं वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर हां में हैं, तो सरकार उक्त अभद्र एवं खराब सामान रखने वाले कैंटीन मालिक को कब तक हटाना चाहती है; यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवनारायण यादव—(१) एम० एल० ए० कैन्टीन मालिक के विरुद्ध कुछ विधायकों ने मार्च १९५९ में आवेदन किया था।

(२) जांच के लिये दो नमूने लिये गये थे जिनमें से एक असली तथा दूसरा मिश्रित साबित हुआ है।

(३) मूलतः किराये की वसूली के लिये ही सिविल सूट दायर करना है और इसके लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

*श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—मैं यह जानना चाहता हूँ कि मार्च, १९५९ में कितने विधायकों ने दरखास्त दिया था?

सभापति—वह तो आपके दरखास्त में दिया हुआ है।

श्री देवनारायण यादव—क्वेश्चन में जितना हवाला दिया था, उतने विधायक नहीं हैं, बहुत कम हैं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—कितने थे?

श्री देवनारायण यादव—कम-से-कम जितने दरखास्त में अपना नाम दे चुके हैं, उनका नम्बर मेहरबानी करके नहीं पूछिये।

*Shri RAMCHARITRA SINHA : You may not give your number, but how can you advise us not to ask for it?

Shri DEVNARAYAN YADAV : I am not advising you; I am requesting you.

श्री रामचरित्र सिन्हा—नम्बर देने में आपको उज्र क्या है? आप भले ही नम्बर नहीं दे सकते हैं। I can understand that. But if you have got the number why do you advise us, "मेहरबानी करके नम्बर नहीं पूछिये।" I do not understand this.

श्री देवनारायण यादव—हमारे पास अभी जो दरखास्त है, उसका नम्बर २९ है।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—जहां तक इस नम्बर का सवाल है, आपने २९ कहा, किन्तु मैं इसको गलत मानता हूं।

श्री देवनारायण यादव—गलत उनको इसलिये नहीं कहना चाहिये कि मेरे पास वह दरखास्त मौजूद है और उसपर माननीय सदस्यों का हस्ताक्षर है जिसपर उचित कार्रवाई के लिये हमारे श्रद्धेय भूतपूर्व मुख्य मंत्री का आदेश भी है।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—दरखास्त में कौन-कौन-सा अभियोग लगाया था?

श्री देवनारायण यादव—हुजूर, इजाजत हो तो दरखास्त के कंटेंट्स को पढ़ दें।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—कंटेंट्स की जरूरत नहीं है, जिस्ट ही कह दीजिये।

सभापति—आरोप क्या है?

श्री देवनारायण यादव—आरोप यह है कि दिनांक २४ फरवरी, १९५९ को जब वे भोजन करने गये तो कैंटिन वाले का अभद्रपूर्ण व्यवहार हुआ और इससे उनको मार्मिक आघात पहुंचा।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—इन्क्वायरी करते समय इस संबंध में उस माननीय सदस्य को क्या आपने बुलाया था और इसकी जांच आपने करायी थी ?

श्री देवनारायण यादव—हुजूर, यह बहुत पुराना मामला है और इसकी जांच भी हुई थी। जांच के सिलसिले में बहुत ही बातें आयीं जिनको मैंने अभी कहा और हमारे श्रद्धेय रामचरित्र बाबू जरा नाराज भी हुए.....

Shri RAMCHARITRA SINHA : I am not "Naraz".

श्री देवनारायण यादव—खैर, बहुत विनम्रता पूर्वक मैंने कहा कि माननीय सदस्यों का मामला है, इस तरह इसकी छानबीन नहीं की जाय, वह अगर चाहें तो सप्लीमेंटरी करें, मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—उस आवेदन के बाद सरकार ने उसको वहां से हटाने का फैसला किया था ?

श्री देवनारायण यादव—यह ठीक बात है कि आवेदन जब पड़ा तो उसके बाद अभी तक देर हुई है। उस देर को स्वीकार करने में हमको जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि माननीय सदस्यों की जो मनोभावना है, उसकी कदर की जाय और उसकी कदर करते हुए हम चाहते हैं कि इस आधार पर नहीं वरन् जो दूसरा न्यायायिक तरीका है, उसको अपना कर उसमें उचित ढंग से हम फैसला लें और माननीय सदस्य के मनोभाव का भी कदर करें। इसलिये हमने इस प्रश्न के अंतिम खंड के उत्तर में कहा है कि इसमें सिविल सूट करने जा रहे हैं और उसके जरिये हम चाहते हैं कि उस कैन्टीनवाले को वहां से हटाया जाय।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—क्या यह बात सही है कि इसके पहले उप-मंत्री श्री अम्बिका सिंह और श्री सहदेव महतो ने इन्क्वायरी की थी और इस हाउस में जवाब मिला है कि सरकार ने उसको हटाने का फैसला कर लिया है ? क्या यह बात सही नहीं है कि सरकार ने उसको हटाने का फैसला बहुत पहले से कर लिया है ?

श्री देवनारायण यादव—उस रिटिन रिप्लाई के बारे में अभी मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन मैं फिर विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अम्बिका बाबू और श्री सहदेव महतो जिस हैसियत से इस कैन्टीन के मामले में काम कर रहे थे, उसका जिक्र नहीं किया जाय। मैंने अभी जवाब दिया कि सिविल सूट दायर करने का रास्ता अपनाया जा रहा है और उसके पीछे हमारे माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करने की बात है और साथ-साथ उस कैन्टीनवाले के यहां बहुत-सा हमारा किराया बाकी है, उसको भी वसूल करने की बात है और हटाने की बात है। साथ-साथ हम दूसरा निर्णय भी लेना चाहते हैं ; वह निर्णय यह है कि हम चाहते हैं कि पी० डब्लु० डी० इस तरह के मामला में हस्तक्षेप नहीं करें। वहां एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बना दिया जाय जो मेम्बरों की ओर से या मेम्बर लोग खुद इस तरह के कैन्टीन का इन्तजाम करें।

पी० डब्लु० डी० किराया सिर्फ निर्धारित कर दे और वह किराया चाहे तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट दे या जिसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट किराया में रखे, उससे पी० डब्लु० डी० वसूल करे।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव--सिविल सूट कब किया है और यदि नहीं किया है तो कब करने जा रहे हैं ?

*श्री देवनारायण यादव--अभी मैंने राय ले ली है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सिविल सूट दायर करना होगा।

श्री उमेश्वर प्रसाद--अभी आपने कहा कि सिविल सूट लाने जा रहे हैं तो इसमें देर क्यों की जा रही है ?

सभापति--क्या आप सिविल सूट लाकर लेसी को इजेक्ट करना चाहते हैं ?

श्री देवनारायण यादव--इसमें कई अड़चनें भी हैं; इसलिये मैं पूरी व्याख्या नहीं करना चाहता हूं।

श्री उमेश्वर प्रसाद--उसके बन्दोबस्ती का टर्मस एन्ड कन्डिशन क्या है ?

श्री देवनारायण यादव--अगर सारी चीजें हुई होतीं तो आज गवर्नमेंट का पोजीशन साफ रहती और फैसला भी बहुत पहले हो गया होता।

श्री उमेश्वर प्रसाद--इसकी बन्दोबस्ती कैसे हुई और किसने की है ?

श्री देवनारायण यादव--अगर हम सारा स्टेटमेंट दें तो हो सकता है कि जो कुछ ये लोग चाहते हैं, उसमें कमी आ जाय। इसमें काफी छानबीन के बाद [यह स्टेटमेंट मैंने सदन के सामने दिया है।

*श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा--सरकार की सिविल सूट लाने की क्यों जरूरत पड़ी है ?

श्री देवनारायण यादव--इसलिये जरूरत पड़ी कि माननीय सदस्य की एक राय है और हमारे कानून की एक राय है और हमारा किराया बाकी है। आपके मनोभावना की कदर हो और सरकार का किराया भी आ जाय, यही कारण है।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव--क्या सरकार यह बतलायगी कि वह जांच कब हुई और उसको इजेक्ट करने के लिये आपने क्यों नहीं पहले स्टेप लिया ?

श्री देवनारायण यादव—जांच की रिपोर्ट कल आयी है। अनहाइजेनिक खाना देखने के लिये खास-खास अफसर हेल्थ विभाग में बहाल हैं। यह उनका काम होता है कि उसकी जांच कर मुकदमा दायर कर दें। इसलिये मैंने रिपोर्ट मंगा ली है जिसकी एक प्रति हेल्थ इन्सपेक्टर कनसरन्ड को भी दे दी गयी है।

*श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—मैं आपसे यह पूछता हूं कि जबतक आप उसे इविक्ट नहीं करते हैं, तब तक अच्छा खाना कैसे मिलेगा ?

श्री देवनारायण यादव—क्या आप यह चाहते हैं कि कानूनी तरीका नहीं अपनायें या कोई दूसरा इन्तजाम हो ?

सभापति—जबतक लेसी वहां है, दूसरा इन्तजाम क्या होगा ?

श्री देवनारायण यादव—इसीलिये उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—इसमें आपकी ज्वायंट रेस्पानसिबिलिटी है तो आप क्यों देर कर रहे हैं ?

श्री देवनारायण यादव—हमारी रिस्पानसिबिलिटी है। इसीलिये हमने रिपोर्ट मंगाई और उसकी एक प्रति इन्सपेक्टर, हेल्थ विभाग को दिया है कि वे इसके संबंध में उचित कार्रवाई करें।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—सिविल सूट दायर होकर कोर्ट में कार्रवाई चलेगी, लेकिन जैसा कि डेम्पर हम हाउस का देखते हैं क्या सरकार यह बतलायेगी कि अच्छा खाना मिले, इसके लिये सरकार क्या प्रबंध करना चाहती है ?

श्री देवनारायण यादव—मैं अपना वक्तव्य दे चुका हूं। अगर आप यह चाहते हैं कि एक बोड आफ मैनेजमेंट माननीय सदस्यों का बनाया जाय तो उसके लिये हम एक सेट आफ रूल्स बनवा दें या माननीय सदस्य अपना सुझाव भेजना चाहते हैं कि इनटरिम पीरियड में क्या करना उचित होगा तो दीजिये हम उस पर विचार करेंगे।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—वहां पर बोर्ड आफ मैनेजमेंट कब बनने जा रहा है ?

श्री देवनारायण यादव—सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री हरिचरण सोय—जब कम्पलेन्ट बहुत पुराना है तब रिपोर्ट आने में देरी क्यों हुई है ?

श्री देवनारायण यादव—रिपोर्ट भी तो पुरानी है।

श्री हरिचरण सोय—इस पर लॉ विभाग से जो राय दी गयी है, उसमें क्यों देरी हुई है?

श्री देवनारायण यादव—सरकार इस बात को खुद महसूस कर रही है कि इसमें देरी हुई है।

ओर्थोडौक्स चैम्बर को घेरा जाना।

१९९। श्री यदुनन्दन तिवारी—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि ओर्थोडौक्स चैम्बर, आर ब्लौक, पटना के कम्पाउन्ड का उत्तरी-पूर्वी घेरा (fencing) तीन-चार वर्षों से टूटा पड़ा है पर उसकी मरम्मती अबतक न हो सकी है;

(२) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त घेरा नहीं रहने से मवेशियों तथा आगन्तुकों (strangers) के आने-जाने का भरमार लगा रहता है जिससे आये दिन सरकारी सामानों तथा सदस्यों के यहां चोरियां हो जाती है;

(३) क्या यह बात सही है कि उपयुक्त घेरा के नहीं रहने से आर ब्लौक स्थित फ्लैट्स तथा ओर्थोडौक्स चैम्बर की सुरक्षा नहीं है और माननीय सदस्यों को भी असुविधा होती है;

(४) यदि उपर्युक्त खंड (१) से (३) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ओर्थोडौक्स चैम्बर, आर ब्लौक का तथा ब्लौक स्थित फ्लैट्स का घेरा (fencing) गार्डिनर रोड स्थित फ्लैट्स की भांति कराने का विचार रखती है: यदि नहीं, तो क्यों; यदि हां, तो कबतक?

श्री देवनारायण यादव—(१) ओर्थोडौक्स चैम्बर "आर ब्लौक" का उत्तरी-पूर्वी घेरा टूटा हुआ नहीं है, लेकिन फ्लैट के निर्माण काल में हटा दिया गया था क्योंकि फ्लैट का कुछ भाग घेरे के अन्दर पड़ता है।

(२) यहां पर आगन्तुकों का आना-जाना बराबर लगा रहता है। यह सही नहीं है कि घेरा रहने पर आगन्तुकों पर प्रतिबंध लग जायगा। मवेशियों का घूमना-फिरना भी बन्द नहीं हो सकता है क्योंकि चैम्बर के फाटक में ताला नहीं लगाया जाता है और न लग सकता है जिससे रुकावट हो।

(३) उत्तर नकारात्मक है।

(४) यह प्रश्न नहीं उठता।